बिरसा मुण्डा पार्क, धनबाद का संचालन करने हेतु निविदा प्रारूप।

बिरसा मुण्डा पार्क, धनबाद का 3(तीन) वर्षों के लिए निर्धारित दर के आधार पर संचालन करने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है जो निम्न प्रकार है :–

कमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	परिमाण विपत्र की विकी की तिथि	09.02.2017 से 15.02.2017 (कार्यालय अवधि में)
2	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	20.02.2017 (अपराह्न 3.00 बजे तक)
3	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	20.02.2017 (अपराह्न 4.00 बजे)
4	परिमाण विपत्र विकी का स्थान	जिला विकास शाखा, धनबाद।
5	निविदा प्राप्ति का स्थान	जिला विकास शाखा, धनबाद।
6	निविदा खोलने का स्थान	समाहरणालय, धनबाद के सभा कक्ष

निविदाकर्ता के द्वारा तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड पृथक–पृथक तैयार किया जायेगा । प्रथम लिफाफे में बिरसा मुण्डा पार्क का तकनीकी बीड तथा द्वितीय लिफाफे में वित्तीय विड अंकित करते हुए समर्पित करना होगा। दोनो लिफाफे पर संबंधित निविदाकर्त्ता के द्वारा पूर्ण पता मोबाईल नम्बर सहित दर्ज करना अनिवार्य होगा।

(1) **तकनीकी निविदा प्रकिया की शर्तें :–**

1. एक संस्था केवल एक निविदा आवेदन कर सकता है।
2. तकनीकी निविदा के प्रस्ताव में वित्तीय प्रस्ताव को समाहित नहीं करना होगा ।
3. मालिकाना/पार्टनरशिप फार्म/निबंधित कम्पनी/सोसाईटी/ट्रस्ट से संबंधित योग्य संस्था आवेदन कर सकते है।
4. संबंधित निविदाकर्त्ता/एजेंसी के द्वारा पार्क प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष रूप से सरकारी पार्क के संचालन के परिपेक्ष्य में न्यूनतम 3(तीन) वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा।
5. संगठनों का समूह (Consortium of a group of organizations) भी आवेदन कर सकते है। परन्तु उनके व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार नही होगें। संध/संकाय के सभी सदस्य समान रूप से हिस्सेदार होगें।
6. चयनित होने पर संध/संकायों के अन्तर्गत संस्थानों या उसके सदस्य एकरारनामा की तिथि से अगले 5(पॉच) वर्षों तक अनिवार्य रूप से संबंद्ध रहेंगे। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निविदाकर्त्ता के द्वारा पार्क के विकास योजना, संचालन एवं प्रबंधन के संबंध में तकनीकी निविदा खोलने के समय 3D Power point presentation प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. पार्क प्रबंधन/संचालन से संबंधित उपायुक्त धनबाद की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के सुझावों /अनुशंसाओं के कियान्वयन की वाध्यता होगी।

9. निविदाकर्त्ता को निविदा प्रपत्र के साथ आयकर विभाग का PAN कमांक (प्रमाण पत्र सहित) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्त्ता के सभी व्यवसायिक संस्थानों के विगत तीन वर्षो (2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) का वार्षिक Turn Over को (न्यूनतम 10 लाख) रूपये प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय आय–व्यय का Balance sheet अनिवार्य रूप से संलग्न होगा तथा मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित विगत 3(तीन) वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. निविदाकर्त्ता के द्वारा वाणिज्यकर विभाग से निर्गत निबंधन एवं बिकी कर जमा का अद्यतन प्रमाण देना अनिवार्य होगा। साथ ही सेवा कर जमा विवरणी भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. निविदाकर्त्ता के द्वारा सक्षम प्राधिकार से स्वच्छता एवं चारित्रिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा का नियम व शर्तो की पूर्ण विवरणी dhanbad.nic.in पर Upload किया गया है, जिसे देखा जा सकता है।
13. यदि प्रथम निविदाकर्त्ता को 15 दिवस की समय सीमा में निष्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो द्वितीय सफल निविदाकर्त्ता को समय (मौका) दिया जायेगा।

वित्तीय बीड की नियम एवं शर्ते

1. विरसा मुण्डा पार्क का वार्षिक आमदनी वित्तीय वर्ष 2016–17 में 40.00 लाख रूपये सम्भावित है। इस आलोक में एक वर्ष हेतु अधिकतम दर अंकित करने वाले निविदाकर्त्ता को निविदा प्रदान की जायेगी।

निविदाकर्त्ता के संबंध में अन्य नियम व शर्तें

1. निविदाकर्त्ता का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
2. निविदाकर्त्ता को पार्क संचालन करने का न्यूनतम 3 वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है।
3. सफल निविदाकर्त्ता द्वारा साहसिक/मनोरंजन गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराये गये भूमि/स्थान की साफ–सफाई स्वयं के व्यय पर करानी होगी। इसका सहमति पत्र (Undertaking) देना होगा।
4. सफल निविदाकर्त्ता को शॉप एण्ड इस्टेबलिशमेंट (स्थापना) एक्ट का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. सफल निविदाकर्त्ता द्वारा किसी भी दशा में भूमि/स्थान को किसी दूसरी संस्था के साथ हिस्सेदारी(सबलेटिंग) नही करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
6. सफल निविदाकर्त्ता को स्थापित श्रम नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना होगा एवं उसी के अनुरूप श्रम कार्य से जुडे श्रमिको को मजदुरी भुगतान अनिवार्य होगा। श्रम विभाग से सत्यापन अनिवार्य होगा।
7. सफल निविदाकर्त्ता द्वारा रखे गये कर्मचारी किसी भी दशा में किसी भी अतिथि के साथ दुर्व्यवहार नही करेगा। इसका उत्तरदायित्व सफल निविदाकर्त्ता पर होगा।

8. सफल निविदाकर्त्ता को प्राप्त विधुत विपत्र का नियमानुसार प्रत्येक माह नियमित भुगतान करना अनिवार्य होगा।
9. सफल निविदाकर्त्ता द्वारा संचालित सहसिक/मनोरंजन गतिविधियों के दौरान किसी भी करस्टमर/अतिथि/अन्य के साथ किसी प्रकार की दुर्धटना आदि होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकर्त्ता की होगी। दुर्घटना होने की स्थिति में नियमानुसार मुआवजा का भुगतान करना होगा ।
10. पार्क में टिकट की दर का निर्धारण एवं टिकट वसूली पद्धति का निर्धारण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जायेगा।
11. सफल निविदाकर्त्ता पार्क में अपनी आय बढ़ाने हेतु मनोरंजन के नये साधन उपलब्ध कराने में स्वतंत्र होगें। परन्तु इसके लिए सफल निविदाकर्त्ता को जिला स्तरीय समिति की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।
12. सफल निविदाकर्त्ता द्वारा पार्क में पूर्व से कार्यरत कमियों को रखा जाय तथा किसी भी कर्मी को हटाने के पूर्व जिला स्तरीय समिति से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. अनुबंध के अनुसार उभय पक्षों में किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में न्यायालीय क्षेत्र सिविल कोर्ट धनबाद जिला होगा।
14. सफल निविदाकर्त्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि रू0 1,00,000/– (एक लाख रू0 मात्र) सुरक्षित राशि के रूप में 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी एवं इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
15. सफल निविदाकर्त्ता के द्वारा वार्षिक Turn Over का 25 प्रतिशत राशि जिला पार्क प्रबंधन समिति को देय होगा।
16. उपायुक्त धनबाद की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पार्क प्रबंधन समिति के द्वारा सफल निविदाकर्त्ता का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जायेगा।
17. सफल निविदाकर्त्ता को बिरसा मुण्डा पार्क से होने वाली सभी तरह की आय पर अधिकार होगा एवं सभी तरह के व्यय की जवावदेही होगी।
18. जिला स्तरीय प्रबंधन समिति के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के आधार पर सफल निविदाकर्त्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 3(तीन) वर्षो तक अवधि विस्तार अनुमान्य होगा।
19. उपायुक्त के अध्यक्षता में गठित जिला पार्क प्रबंधन समिति के द्वारा दिये गये आदेशो/दिशा –निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

17/1/17

उपायुक्त,
धनबाद।